पत्रांकः– वन भूमि–33 / 2020..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– बाँका जिलान्तर्गत पपहरनी झील, आकाश गंगा एवं मंदार पर्वत के विकास कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.72 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव मुख्य अभियंता, बिहार बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–C/P-F10165/52-5850-R दिनांक–29.12.1992 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना में 0.72 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण–पत्र संलग्न है परन्तु जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण–पत्र विषयाधीन परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है। सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ संशोधित FRA, 2006 प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए रेखांकित टोपो सीट संलग्न किया गया है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि (0.72 हे०) मौजा गोखुला–कुमरभाग थाना नं०–471 / 2019, खाता संख्या–10, खेसरा संख्या–193 में 2.50 एकड़ गैर मजरूआ खास, परती किस्म की भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध कराई गयी है।

चिन्हित गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। गैर वनभूमि वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वनभूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.72 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,50,720 / –(चार लाख पचास हजार सात सौ बीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपन के लिये चिन्हित गैर वनभूमि 1.00 हे० पर रू० 15,56,009/— मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक—11-42/2017-FC दिनांक—29.01.2017 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन वर्ष 2019 में करने के कारण Pannel NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल रू० 1,00,961/—मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :— वन भूमि—33/2020....................../प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक..

प्रतिलिपि :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/मुख्य अभियंता, बिहार बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :— वन भूमि—33/2020 406 (ई०)/प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक 28/04/2020

प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

27/4/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी